न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

(2)

अनुमति वाद संख्या :– 328 / 2019–20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

दीपक मुण्डा – विक्रेता

नथनिएल ओड़ेया – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
07.08.20	(नीचे देखें)	

आदेश

आवेदक दीपक मुण्डा पिता स्व0 छोटो मुण्डा ग्राम–दुलवा, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने नथनिएल ओड़ेया पिता दानिएल ओड़ेया ग्राम–कुंजला, पोस्ट–बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
दुलवा	259	10	251	0.22

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय / जाति प्रमाणपत्र / खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0070908737 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 462 दिनांक 29.07.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम चमा मुण्डा वैगराह हैं। पंजी II के अनुसार चामा मुण्डा वगैराह के नाम भूमि का रकबा 23.85 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 3.97 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 6300.00(छः हजार तीन सौ)रू0 प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.75 एकड़ रह जाती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं हैं। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण दीपक मुण्डा पिता स्व0 छोटो मुण्डा को नथनिएल ओड़ेया पिता दानिएल ओड़ेया के साथ ग्राम दुलवा के खाता सं0 10 खेसरा संख्या 251 कुल रकबा 0.22 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 6300.00(छः हजार तीन सौ)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 07/08/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

(हस्ताक्षर) 07/08/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।